उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-263/2018/4277/71-1-18-जी0-32/2007

लखनऊः दिनांकः 09 अक्टूबर, 2018

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

रिट याचिका संख्या-12589/2018 नवयुग अभियान समिति व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 04 अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2018 के क्रम में उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन कराये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-2794/71-1-2017-जी0-32/2007 दिनांक 11-09-2017 द्वारा प्रेषित अधियाचन के क्रम में लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या-19/01/डी0 आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 11-04-2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन संस्तुति के आधार पर राज्यपाल महोदय डा0 आरती दवे लाल चन्दानी (रजिस्ट्रेशन संख्या-52820156519),पता-60/154 स्वरूप नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश पिन कोड-208002 को वेतनमान रू0 37400-67000, वेतन बैण्ड रू0 10,000/- में प्रधानाचार्य, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर के पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) समय-समय पर प्रदत्त शासनादेशों के अंतर्गत अनुमन्य मँहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

(2) 01 माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(4) उत्तर प्रदेश सरकारी चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली 1990 तथा यथासंशोधित नियमावली के प्राविधानों के अधीन होगी। उक्त नियमावली के नियम 18 के अंतर्गत परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष की होगी।

(6) यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगें:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति न होने का प्रमाण-पत्र।

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या-263/2018/4277(1)/71-1-18-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर ।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर ।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर ।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. डा0 आरती दवे लाल चन्दानी 60/154 स्वरूप नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश पिन कोड-208002(पंजीकृत डाक द्वारा)
9. कार्मिक अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in